न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 73/2020
GCMS NO. : 2020/00239

–: वादिया :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. गीता देवी पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी फालका तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		1. तहसीलदार, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

दावा बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.06/10/2020

उपस्थित:–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादिया।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक:– 16/01/2024

अधिवक्ता मय वादिया ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि यह है कि सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका, तहसील जैतारण में वादिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1143 रकबा 11–10 बीघा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादिया अपने हक–हिस्से माफिक मौके पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादिया के पति का नाम तत्कालीन आर.आई. व हल्का पटवारी ने छोटूराम नाम अंकित कर दिया जबकि वादिया के पति का सही नाम धर्माराम है। परन्तु म्यूटेशन पारित करते समय पटवारी को सही नाम की जानकारी नहीं होने से छोटूराम नाम गलत इन्द्राज कर दिया। इसलिये वादिया के पति का गलत नाम छोटूराम के स्थान पर सही नाम धर्माराम दर्ज किया जावें, इस बाबत वादिया द्वारा यह वादपत्र घोषणा का पेश है। वादिया के पति का सभी सरकारी दस्तावेज भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र में वादिया के पति का नाम धर्माराम अंकित है। परन्तु वादपत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है। इसलिये वादिया को अनेकों कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योकि वादिया के पति का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज हो जाने से किसी तरह की सरकारी सहायत जैसे क्रेडिट कार्ड बनवाना, अपनी फसल को समर्थन मूल्यों पर बैचान करना आदि सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित है। इसलिये वादिया के पास अब कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादिया के पति का नाम गलत होने की जानकारी दिनांक 17.02[illegible] को बैंक से ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की एवं बैंक द्वारा राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज होने से ऋण देने से मना कर [illegible] तब जानकारी [illegible] तत्पश्चात वादिया ने दिनांक 18.02.2020 को प्रतिवादी को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादिया के पति का गलत नाम छोटूराम को दुरूस्त कर सही नाम धर्माराम [illegible]ाज करवाने का निवेदन किया तब प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करने का कहा इसलिये प्रतिवादी द्वारा वादिया का नाम दुरूस्त करने से इंकार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 13:50:01 IST
Reason: SelfAttested

करने पर वादीया के पास कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का नाम दुरूस्त करवाने का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 17.02.2020 को वादिया द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने पर गलत नाम की जानकारी हुई तत्पश्चात दिनांक 18.02.2020 को प्रतिवादी को नाम दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तब प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार होने से पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।

वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया, जो शामिल मिसल है।

प्रतिवादी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा में कथन किया है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम फालका संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 73 में खसरा नम्बर 1143 रकबा 11–10 बीघा किस्म सेवज दोयम में गीतादेवी पत्नी छोटूराम 1/12 कौम जाट सह–खातेदार के रूप में दर्ज है। वादिया का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1443 के जरिये गीतादेवी पत्नी छोटूराम दर्ज किया गया है, जो माफिक विक्रय विलेख सही दर्ज किया गया है। वादिया के पति का नाम जरिये माफिक विक्रय विलेख के नामान्तरकरण अनुसार सही दर्ज हुआ है। विक्रय विलेख में गीतादेवी पत्नी छोटूराम दर्ज होने से जरिये सही ईन्द्राज किया गया है।

प्रकरण में विवाद्यक कायम की जाकर उभयपक्ष को पर्याप्त एवं समुचित अवसर देते हुये साक्ष्य वादिया, सम्पन्न कि गई। पत्रावली पर अन्य कोई प्रार्थनापत्र किसी भी कार्यवाही एवं आदेशार्थ लम्बित नहीं होने से प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया गया। संगत विधिक प्रावधानों का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रकरण का विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. आया वादिया वादग्रस्त आराजी में अपने पति का नाम दुरूस्त कर छोटूराम के स्थान पर धर्माराम सही दर्ज करने हेतु घोषणा करवाने की अधिकारी है ?

जिम्मे वादिया

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादिया की है। वादिया द्वारा वादपत्र में यह अभिव्यक्त किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादिया के पति का नाम तत्कालीन आर.आई. व हल्का पटवारी ने छोटूराम नाम अंकित कर दिया जबकि वादिया के पति का सही नाम धर्माराम है। वादिया द्वारा बतौर साक्ष्य स्वयं वादिया का साक्ष्य शपथ–पत्र PW-1 के जिरह अनुसार सशपथ [illegible] कि मुझ वादिया के पति का सभी सरकारी दस्तावेजात भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में धर्माराम नाम अंकित है। परन्तु वादग्रस्त आराजी के गलत नाम इन्द्राज हो रखा है। वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजात यथा प्रदर्श–1 (ग्राम फालका जमाबंदी संवत् 2073–2076), प्रदर्श–2 (जमाबंदी संवत् 2065–2068), प्रदर्श–3 (जमाबंदी संवत् 2069–2072) के अनुसार नामांतरकरण संख्या 1443 दिनांक 11.09.2009 के द्वारा गीतादेवी पत्नी छोटूराम नाम अंकित किया गया। परन्तु वादिया के

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 13:50:01 IST
Reason: SelfAttested

अन्य दस्तावेज प्रदर्श–4ए (भामाशाह कार्ड), प्रदर्श–5ए (टी.सी.), प्रदर्श–6ए (परिवार राशन कार्ड), धर्माराम का भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की सूचना के अनुसार गीतादेवी के पति का नाम धर्माराम होना स्पष्ट होता है। परिवार राशन कार्ड की प्रति से स्पष्ट है कि गीतादेवी के पति का नाम छोटूराम उर्फ धर्माराम अंकित है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भू–अभिलेख में वादिया के पति का सही व दस्तावेजी नाम दर्ज करते हुए गीतादेवी पत्नी धर्माराम दर्ज किया जाना उचित है। साथ ही प्रतिवादी ने किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि वादिया के पति का सही नाम छोटूराम है एवं वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादिया के पति का सही नाम धर्माराम अंकित किया जाना सही नहीं है। अतः दस्तावेजात अनुसार यह विवाद्यक वादिया के पक्ष में भलीभाँति साबित होने से वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. आया वादग्रस्त आराजी में वादिया के पति का नाम माफिक विक्रय विलेख के जरिये नामान्तरकरण अनुसार सही दर्ज किया गया है, रोंग एन्ट्री नहीं है?

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की है। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या एक जो कि वादिया के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है, के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज परिवार राशन कार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया के पति का नाम छोटूराम उर्फ धर्माराम है। परन्तु अन्य सभी दस्तावेजों में वादिया के पति का नाम केवल धर्माराम अंकित है एवं प्रतिवादी के जवाब दावा में प्रतिवादी ने केवल इस तथ्य का उल्लेख किया है कि गीतादेवी पत्नी छोटूराम का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1443 के दर्ज किया गया है। परन्तु वादिया के अन्य सभी दस्तावेजात अनुसार वादिया के पति का नाम धर्माराम है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा कोई भी कथन नहीं किया गया है। प्रतिवादी के जवाब दावा अनुसार वादिया ग्राम फालका संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 73 में खसरा नम्बर 1143 रकबा 11–10 बीघा किस्म सेवज दोयम में गीतादेवी पत्नी छोटूराम 1/12 कौम जाट सह–खातेदार के रूप में दर्ज है। अतः न्यायालय उपरोक्त विवेचन अनुसार वादिया के पति के दस्तावेजी नाम की घोषणा किया जाना उचित समझता है। यह विवाद्यक वादिया के पक्ष में भलीभाँति साबित होने से वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. दादरशी – उपर्युक्त पूर्व निर्णित एवं विवेचित विवाद्यक संख्या 1 से 2 के द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावा में उल्लेखित समस्त विवाद्यक विषयों पर विवेचित एवं निर्णित किया जा चुका है, तथा वांछित अनुतोष के संबंध में उपलब्ध के आधार पर निर्णय किया जा चुका है। अतः हमारे विवेक में कोई विवाद्यक विषय शेष नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sunder Bishnoi
Date: 2024.01.31 13:50:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवाद्यक वार पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वाद वादिया बखूबी साबित होता है।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीनमाल

अतः तहसील जैतारण पटवार हल्का फालका के ग्राम फालका की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1143 रकबा 1.8616 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि **गीतादेवी पत्नी छोटूराम** के स्थान पर वादिया का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम **गीतादेवी पत्नी धर्माराम** दर्ज किया जाना उचित है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ प्रविष्टि **'गीतादेवी पत्नी छोटूराम'** दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर **'गीतादेवी पत्नी धर्माराम'** किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादिया स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: ***आदेश*** ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका, तहसील जैतारण में वादिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1143 रकबा 11-10 बीघा किस्म सेवज दोयम के **भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ** वादिया का नाम ***गीतादेवी पत्नी छोटूराम*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'गीतादेवी पत्नी धर्माराम'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर जैतारण
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 16/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर जैतारण
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 13:50:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–ः वादिया ः– **बनाम** **–ः प्रतिवादी ः–**

1. गीता देवी पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी फालका तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

1. तहसीलदार, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0– 73/2020

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादिया मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका, तहसील जैतारण में वादिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1143 रकबा 11–10 बीघा किस्म सेवज दोयम के **भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ** वादिया का नाम ***गीतादेवी पत्नी छोटूराम*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'गीतादेवी पत्नी धर्माराम'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..
.–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/01/2024 को जारी किया गया।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	4.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो मुलकिम को चाहे डिक्री के ... दिलाया गया हो, नही दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 13:50:01 IST
Reason: SelfAttested